अनुबंध

दिनांक 2 मई 2012 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 98/21.06.201/2011-12 द्वारा जारी बासल III पूंजी विनियमों के कार्यान्वयन से संबंधित दिशानिर्देशों का स्पष्टीकरण/संशोधन

क्र. सं.	**मौजूदा अनुबंध/पैराग्राफ** (शब्द काटकर परिवर्तन दर्शाया गया है)	**संशोधित पैराग्राफ** (तिरछे अक्षरों में और रेखांकित कर परिवर्द्धन दर्शाया गया है)
1	**अनुबंध 1, भाग क, पैरा 2.2.7 – फुटनोट सं. 4**	
	संक्रमण अवधि में, आधिक्य का निर्धारण लागू न्यूनतम सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी तथा लागू पूंजी संरक्षण बफर के संदर्भ में तथा अनुपात का निर्धारण उपलब्ध सामान्य ईक्विटी के संदर्भ में किया जाएगा । उदाहरणार्थ, ~~01 जनवरी 2015~~ के अनुसार, अतिरिक्त टियर 1 व टियर 2 पूंजी का निर्धारण कुल सामान्य ईक्विटी 6.125% (5.5% + 0.625%) के संदर्भ में तथा अनुपात का निर्धारण 5.5% सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी के संदर्भ में किया जाएगा।	संक्रमण अवधि में, आधिक्य का निर्धारण लागू न्यूनतम सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी तथा लागू पूंजी संरक्षण बाजार और उपलब्ध सामान्य ईक्विटी से संबंधित अनुपात के संदर्भ में किया जाएगा । उदाहरणार्थ, *31 मार्च 2015* के अनुसार, अतिरिक्त टियर 1 व टियर 2 पूंजी का निर्धारण कुल सामान्य ईक्विटी 6.125% (5.5% + 0.625%) के संदर्भ में तथा अनुपात का निर्धारण 5.5% सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी के संदर्भ में किया जाएगा।
2	**अनुबंध 1, भाग ख, पैरा 3.2.2**	
	बैंक के बीमा एवं गैर -वित्तीय अनुषंगियों /संयुक्त उद्यमों /सहयोगियों इत्यादि को पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य के लिए समेकित **नहीं किया जाना चाहिए।** बीमा और गैर -वित्तीय अनुषंगियों में ईक्विटी और अन्य विनियामक पूंजी निवेश को समूह की समेकित विनियामक पूंजी से काट लिया जाएगा। बैंक की असमेकित बीमा और गैर -वित्तीय इकाइयों (जिसमें प्रवर्तक बैंक के संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी भी शामिल हैं) में ईक्विटी और अन्य विनियामक पूंजी निवेश पर **भाग 'ग' के पैरा 4.9** के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।	बैंक के बीमा एवं गैर -वित्तीय अनुषंगियों /संयुक्त उद्यमों/ सहयोगियों इत्यादि को पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य के लिए समेकित **नहीं किया जाना चाहिए**। बीमा और गैर -वित्तीय अनुषंगियों में ईक्विटी और अन्य विनियामक पूंजी निवेश को समूह की समेकित विनियामक पूंजी से काट लिया जाएगा। बैंक की असमेकित बीमा और गैर -वित्तीय इकाइयों (जिसमें प्रवर्तक बैंक के संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी भी शामिल हैं) में ईक्विटी और अन्य विनियामक पूंजी निवेश पर को *क्रमशः **अनुबंध 1***, **भाग 'ग' के पैरा 4.9** तथा ***अनुबंध 2 के पैरा 1.4*** के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
3	**अनुबंध 1, भाग ग, पैरा 4.6.(i)**	
	..... तदनुसार, बासल III के अंतर्गत, बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी की गणना में सभी अप्राप्त लाभों और हानियों को, जो बैंकों के निजी ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण देयताओं के उचित मूल्य में आए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप हैं, अमान्य करें। यदि बैंक अपने डेरिवेटिव और प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन (एसएफटी) देयताओं का मूल्यांकन, नामे मूल्यांकन समायोजनों (डीवीए) के रूप में अपनी स्वयं की ऋण पात्रता के मद्देनजर	..... तदनुसार, बासल III के अंतर्गत, बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी की गणना में सभी अप्राप्त लाभों और हानियों को, जो बैंकों के निजी साख जोखिम में परिवर्तने के कारण देयताओं के उचित मूल्य में आए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप हैं, अमान्य करें। *इसके अलावा, डेरीवेटिव देयताओं के संबंध में, बैंक के निजी ऋण जोखिमों से उत्पन्न होने वाले सभी लेखांकन मूल्यांकन समायोजनों को*

	निर्धारित करता है, तो ……..	*अमान्य किया जाए। बैंक के निजी ऋण से उत्पन्न मूल्यांकन समायोजनों तथा उस बैंक के काउंटरपार्टी के ऋण जोखिम से उत्पन्न मूल्यांकन समायोजनों के बीच प्रतितुलन (आफसेटिंग) की अनुमति नहीं है।* यदि बैंक अपनी व्युतपत्तियों और प्रतिभूतियों के वित्तपोषण वाले लेनदेनों (एसएफटी) देयताओं का मूल्य, डेबिट मूल्यांकन समायोजनों (डीवीए) के रूप में अपनी स्वयं की ऋण पात्रता के मद्देनजर निर्धारित करता है, तो ……..
4	**अनुबंध 1, भाग ग, पैरा 4.9.2.2 (iv)**	
	बैंक की सामान्य ईक्विटी के 10% की सीमा से कम के निवेश, जिसे नहीं घटाया जाता है, जोखिम भारित होंगे। इस प्रकार व्यापार बहियों में लिखतों पर बाजार जोखिम नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और बैंकिंग बही में लिखतों को मानकीकृत दृष्टिकोण या (यथा लागू) आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जोखिम भार लागू करने के लिए धारिताओं की राशि को जिनका जोखिम भारित किया जाना अपेक्षित है बैंकिंग तथा व्यापार बही के बीच समानुपातिक आधार पर बांट दिया जाएगा। ~~नकारात्मक सीआरएआर वाले गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के मामले में ऐसे निवेश निवेशकर्ता बैंक की सामान्य ईक्विटी टियर । पूंजी से पूरी तरह घटा लिए जाएंगे।~~	बैंक की सामान्य ईक्विटी के 10% की सीमा से कम के निवेश, जिसे नहीं घटाया जाता है, जोखिम भारित होंगे। इस प्रकार व्यापार बहियों में लिखतों पर बाजार जोखिम नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और बैंकिंग बही में लिखतों को मानकीकृत दृष्टिकोण या (यथा लागू) आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जोखिम भार लागू करने के लिए धारिताओं की राशि को जिनका जोखिम भारित किया जाना अपेक्षित है बैंकिंग तथा व्यापार बही के बीच समानुपातिक आधार पर बांट दिया जाएगा। *तथापि कतिपय मामलों में अनुसूचित वाणिज्य तथा गैर-अनुसूचित वाणिज्य दोनों बैंकों में ऐसे निवेश निवेशकर्ता बैंक की सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी से पूर्ण रूप से घटा दिए जाएंगे जैसा कि अनुबंध 2 के पैरा 1.1 तथा 5 में दर्शाया गया है।*
5	**अनुबंध 1, भाग ग, पैरा 4.9.2.3. (iii)**	
	जो सामान्य शेयर हैं वे निवेश	**जो सामान्य शेयर हैं वे निवेश**
	उक्त पैरा (i) में शामिल सभी निवेश जो सामान्य शेयर हैं तथा जो (सभी विनियामक समायोजनों को लागू करने के पश्चात्) बैंक की सामान्य ईक्विटी के 10% से अधिक हो जाते हैं, सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी की गणना करते समय घटाये जाएंगे। जो राशि सामान्य ईक्विटी टियर 1 की गणना में नहीं घटाई जाती है (10% तक यदि बैंक की सामान्य ईक्विटी का निवेश ऐसी संस्थाओं की ईक्विटी पूंजी में होता है) उस पर 250% पर जोखिम भारित किया जाएगा। (कृपया **परिशिष्ट 9** में दिए हुए उदाहरण को देखें)। ~~नकारात्मक सीआरएआर रखने वाले अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सामान्य शेयरों में किए गए ऐसे निवेश सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी से घटा दिये जाएंगे। 3% से कम सीआरएआर रखने वाले गैर - अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के मामले में इसी प्रकार के~~	उक्त पैरा (i) में शामिल सभी निवेश जो सामान्य शेयर हैं तथा जो सभी विनियामक समायोजनों को लागू करने के पश्चात्) बैंक की सामान्य ईक्विटी के 10% से अधिक हो जाते हैं, सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी की गणना करते समय घटाये जाएंगे। जो राशि सामान्य ईक्विटी टियर 1 की गणना में नहीं घटाई जाती है (10% तक यदि बैंक की सामान्य ईक्विटी का निवेश ऐसी संस्थाओं की ईक्विटी पूंजी में होता है) उस पर 250% पर जोखिम भारित किया जाएगा। (कृपया **परिशिष्ट 9** में दिए हुए उदाहरण को देखें)। *तथापि कतिपय मामलों में अनुसूचित वाणिज्य तथा गैर-अनुसूचित वाणिज्य दोनों बैंकों में ऐसे निवेश निवेशकर्ता बैंक की सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी से पूर्ण रूप से घटा दिए जाएंगे जैसा कि अनुबंध 2 के पैरा 1.1 तथा 5 में दर्शाया गया है।*

	~~निवेश भी सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी से घटा दिए जाएंगे।~~	
6	**अनुबंध 1, भाग ड.**	
	पैरा 6.4.2 यदि गैर-सामान्य ईक्विटी विनियामक पूंजी लिखत को 12 सितंबर 2010 और ~~1 जनवरी 2013~~[25] के बीच में जारी किया गया है, तो पैराग्राफ	**पैरा 6.4.2** यदि गैर-सामान्य ईक्विटी विनियामक पूंजी लिखत को 12 सितंबर 2010 और *31 दिसंबर 2012*[25] के बीच में जारी किया गया है, तो पैराग्राफ .....
	पैरा 6.4.2.3 यदि ऐसा लिखत गैर-व्यवहार्यता मानक को छोड़कर सभी ~~मानक पूरे नहीं करता है~~ तो	**पैरा 6.4.2.3** यदि ऐसा *लिखत* गैर-व्यवहार्यता मानक को छोड़कर सभी मानक *पूरे करता है* तो
	पैरा 6.4.3 1 जनवरी 2013 के बाद जारी गैर -सामान्य ईक्विटी विनियामक पूंजी लिखत के लिए यह आवश्यक है कि वह पात्र विनियामक पूंजी लिखत अतिरिक्त टियर 1 या टियर 2 पूंजी होने के लिए गैर-व्यवहार्यता मानक समेत पात्रता के सभी मानकों को पूरा करता हो।	**पैरा 6.4.3** 1 जनवरी 2013 *को या उसके के बाद* जारी गैर - सामान्य ईक्विटी विनियामक पूंजी लिखत के लिए यह आवश्यक है कि वह पात्र विनियामक पूंजी लिखत अतिरिक्त टियर 1 या टियर 2 पूंजी होने के लिए गैर-व्यवहार्यता मानक समेत पात्रता के सभी मानकों को पूरा करता हो।
7	**अनुबंध 2, पैरा 3.3**	
	.... तदनुसार, मास्टर परिपत्र के ~~पैरा 7.5.5~~ में निम्नवत संशोधन किया जाता है। **'7.5.5 पात्र गारंटीकर्ताओं (प्रति- गारंटीकर्ता) का दायरा** निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली ऋण सुरक्षा	.... तदनुसार, मास्टर परिपत्र के *पैरा 7.5.6* में निम्नवत संशोधन किया जाता है। ***'7.5.6* पात्र गारंटीकर्ताओं (प्रति- गारंटीकर्ता) का दायरा** निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली ऋण सुरक्षा .....
8	**अनुबंध 2** • *पैरा 1.1 की सारणी 4: बैंकों के प्रति दावे* • *पैरा 5.1 की सारणी 16 (भाग-ग), 16 (भाग घ): अन्य बैंकों द्वारा जारी बांड में बैंक के निवेशों के लिए पूंजी परिवर्तन* • *पैरा 5.2: अन्य बैंकों की ईक्विटी में बैंक के निवेशों के लिए विनिर्दिष्ट जोखिम प्रभार* **स्पष्टीकरणः** उक्त सारणियों/पैरा के संबंध में, बासल III पूंजी अनुपातों की गणना के उद्देश्य के लिए, जोखिम भारों, पूंजी प्रभारों की गणना पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा पर दिनांक 2 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र सं. बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 16/21.06.0012/2012-13 में दिये गये मौजूदा सारणियों/पैरा के आधार पर तब तक की जा सकती है जब तक बैंक अपनी बासल III पूंजी अनुपातों का प्रकटीकरण न कर दें।	
9	**अनुबंध 4, पैरा 2**	

	मौजूदा पैरा 2.1 में एक उप-पैरा 2.1.1 जोड़ा गया है *2.1.1 बासल III न्यूनतम पूंजी संरक्षण मानक लागू न्यूनतम सीईटी 1 पूंजी और लागू सीसीबी पूंजी के संबंध में लागू होते हैं। अतएव बासल III संक्रमणकाल के दौरान बैंक सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपातों के विभिन्न स्तरों पर न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपातों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित सारणी को देख सकते हैं:*

प्रत्येक बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी संरक्षण मानक			
वर्तमान अवधि के प्रतिधारित अर्जनों सहित सामान्य ईक्विटी टियर 1 अनुपात			न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात (अर्जनों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)
31 मार्च 2015 के अनुसार	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2017 के अनुसार	
5.5% - 5.65625%	5.5% - 5.8125%	5.5% - 5.96875%	100%
>5.65625% - 5.8125%	>5.8125% - 6.125%	>5.96875% - 6.4375%	80%
>5.8125% - 5.96875%	>6.125% - 6.4375%	>6.4375% - 6.90625%	60%
>5.96875% - 6.125%	>6.4375% - 6.75%	>6.90625% - 7.375%	40%
>6.125%	>6.75%	>7.375%	0%

10	**अनुबंध 5, पैरा 3.3**	
	..... बैंकों को पूंजी तथा एक्सपोजर उपायों पर विस्तृत गणनाओं सहित अपने टियर 1 लिवरेज अनुपात की सूचना तिमाही आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) को ~~31 दिसंबर 2012~~ को समाप्त तिमाही से देनी चाहिए।	बैंकों को पूंजी तथा एक्सपोजर उपायों पर विस्तृत गणनाओं सहित अपने टियर 1 लिवरेज अनुपात की सूचना तिमाही आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) को *30 जून 2013* को समाप्त तिमाही से देनी चाहिए।
11	**परिशिष्ट 1, सारणी का शीर्षक**	
	~~वर्ष 2018 में~~ पूंजी अनुपात	*31 मार्च 2018 को* पूंजी अनुपात
12	**परिशिष्ट 12** पैरा 2.6 में बुलेट क्रमांकों को (ix) से (xiii) के स्थान पर (i) से (v) तक पढ़ा जाना चाहिए।	
13	**परिशिष्ट 13** 'गैर-ईक्विटी विनियामक पूंजी लिखतों हेतु संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं' के लिए एक संशोधित चार्ट इस अनुबंध के साथ संलग्न है।	

गैर-ईक्विटी विनयामक पूंजी लिखतों के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं